FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): दुर्ग P.S. (थाना): दुर्ग कोतवाली Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0473 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 19/09/2024 20:50

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	299
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	302

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): गुरूवार

Date From (दिनांक से): 19/09/2024 Date To (दिनांक तक): 19/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 14:00 बजे

Time To (समय तक): 14:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 19/09/2024 Time (समय): 20:50 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013

Date & Time (दिनांक और समय): 19/09/2024 20:50 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 1 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): दुर्ग

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जितेन्द्र वर्मा उम्र 52 साल

(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री भुवन लाल वर्मा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	भारतीय जनता पार्टी ,कार्यालय जिला दुर्ग ,दुर्ग ,दुर्ग कोतवाली,दुर्ग, छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	भारतीय जनता पार्टी ,कार्यालय जिला दुर्ग ,दुर्ग ,दुर्ग कोतवाली,दुर्ग, छत्तीसगढ़,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9752613562

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राहुल गांधी			1. 12 तुगलक लेन नई दिल्ली ,नई दिल्ली , तुगलक रोड,नई दिल्ली,दिल्ली,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आवेदन पर से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। कि इस समय जिलाअध्यक्षक भारती जनता पार्टी दुर्ग जितेन्द्र वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना उपस्थित आकर कांग्रेस नेता राहूल गांधी द्वारा अमरेरिका दौरे के दौरान भारत की छवि तथा

सिख समुदाय के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण कथन करने पर आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध धारा 299,302 बीएनएस का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया नकल आवेदन जैल है। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, दुर्ग जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) विषय - कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु। महोदय निवेदन है कि लोकसमा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों जिस प्रकार की भाषा वोल रहे है यह देश में जाति, धर्मभाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजनकारी मानसिकता की परिचायक है। महोदय अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान जो बयान दिए है यह विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने वाले रहे हैं। विदेश प्रवास के दौरान उन विदेशी ताकतों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी का भेंट करना आपत्तिजनक है जो भारत में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ऐसे विदेशी नेताओं से मिलकर राहुल गांरी देश के खिलाफ जो टिप्पणियां कर रहे हैं वह देश विरोधी कृत्य है। महोदय, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका प्रवास में सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़ा को लेकर भी अमर्यादित और अप्रासांगिक टिप्पणी करके भारतीय लोकतंत्र भारत की सर्व समावेशी व सर्वस्पर्शी संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने के साथ-साथ सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी का यह कुल्य भी भारतीय सर्वधर्म समभाव की छवि को बिगाड़ कर विश्व पटल पर सिख समाज को अपमानित करने और भारत की छवि को गलत रूप में प्रस्तुत करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश को प्रमाणित करता है। महोदय, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कड़कन गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी पृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, यह राहुल गांधी अब पाकिस्तानपरस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां कर रहे है. वह आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं. यह देश की तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं. वह विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं। यह देश में आच्क्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं और विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितो, पिछडों और आदिवासियों का हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं। राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर की शांति के खिलाफ विषवमन करते है और आतंकियो की रिहाई, पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान के साथ व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, सिख भाइयों की पगढ़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। महोदय, इन सारी बातों को राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। देश विरोधी ताकतों की भाषा बोलकर देश की छवि बिगाड़ना और भारत की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिरता व सद्भावना को ठेस पहुंचना निश्चित रूप से देश विरोधी कृत्य है। अतः आपसे सविनय आग्रह है कि इसे गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखकर कांग्रेस की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हमारे आवेदन को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। भवदीय अंग्रेजी मे अस्पष्ट हस्ताक्षर जितेन्द्र वर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग मो.नं. 9752613562

13. **Action taken:Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or — VIJAY KUMAR YADAW (I (Inspector)) /

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): **No.**(सं.):
to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.**(थाना):
District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIJAY KUMAR YADAW
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):